

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एसीएसएम, वीएसएम
(से नि)

राज्यपाल/कुलाधिपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।



राजमवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/C3-7(V)/2019

देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2023

: आदेश :

एतद्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद के कार्यदायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या : 120/जी०एस०(शिक्षा)/C3-7(V)/2019 दिनांक 15.04.2023 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रो० दीवान सिंह रावत, रसायन विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

हो-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : E3569 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C3-7(V)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रो० दीवान सिंह रावत, रसायन विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
7. कुलपति-दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
8. डा० मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति-गो०ब०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय, पंतनगर।
9. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।